

अंचल अधिकारी ०८२९ का कार्यालय

अधिकारी संख्या- ४८/२०१८-१८

मत नं. प्रकार- विहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिकार 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच
एवं कार्रवाई से संबंधित।

द्वितीय संख्या के आधारके-2074/स0. दिनांक-13.05.2016
सम्बन्धित भूमि अनुनादकारी निदेशक, भू-आर्जन-सह-विशेष राजिय, राजस्व एवं भूमि
सुधार विभाग का पत्र संख्या-३-खाइमोनिटि-११९/८५/२३०८/स0. दिनांक-०३.०९.१९८५
पत्र संख्या अंडेत राजस्व किसानीय, परिवार संख्या-९१४/स0. दिनांक-०९.१२.१९९८ में निहित
निदेशक के अनुभालग में गैरमरुआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच
प्राप्त की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं आठगोद्वारा प्रतिवेदित किया
गया है कि, निम्नान्वित विवरणी की भूमि :

मात्रा- जिष्ठुवौली लाभा- १७४ खाता संख्या- ५५८०९ प्लॉट संख्या-
— इकड़ की भूमि जो गैरमरुआ खास, अनावाद विहार
(आरखण्ड) राजकान्त के खाते की राजकानी भूमि है। जिसकी जगावटी उस पौजा के पासी-॥
के निल्द संख्या- ०१ के पृष्ठ राख्या- ६५ पर जगावटी रेयत मरु ओं९
के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिधक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की
भूमि के विवर कायम जामबंदी की रायित प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिधक द्वारा सामर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत
होता है कि उपर्युक्त जगावटी बिना राशम प्राधिकार के आदेश पर/ अवैध बंदोवस्ती के
आधार पर/ अवैध कोलकर बंदोवस्ती के अभार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार
पर/ साथा दूकुमामान के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका लोटेय निजी लाभ एवं
शुल्क को शुल्क कार्रवाई करना है।

इसमा दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जगीन की
सुनित जगावटी लाभा परीक्षा होती है, जिसका विहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम
१९५०, की धारा ४(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतः रायित जगावटी रेयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खाइड से
संबंधित युल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृष्ठे करें,
कि नामों नामे कर्ता जगावटी को अवैध मानते हुए इसे विहार (आरखण्ड) भूमि सुधार
अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत राशम प्राधिकार को रद करने हेतु अनुशासित किया
जाए।

संधिलग्न दिनांक ०८/०२/२०२० को संपर्कापित करें।

अधिकारी ०८२९
अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
15.12.2024	<p>अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख मे संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत अनुपस्थित। जमाबंदी रैयत मनु उराँव पिता बंधु उराँव के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है</p> <p>जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा जीपुटोली, थाना नं० 174 के सर्वे खतियान में खाता सं० 55 रकबा, भूमि गैरमजुर्रआ खास दर्ज है।</p> <p>राजस्व मांग पंजी ii में खाता सं० 55 मधे रकबा 1.40 एकड़ भूमि मनु उराँव पिता बंधु उराँव के नाम से दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। लगान रसीद नियमित नहीं है। संबंधित पक्ष के द्वारा भूमि बन्दोबस्ती/जमाबंदी से संबंधित पर्याप्त व नियमानुकूल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में संबंधित पक्ष का स्पष्ट दखल-कब्जा नहीं है।</p> <p>राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा मौजा जीपुटोली, थाना नं० 174 खाता सं० 55 मधे रकबा 1.40 एकड़ भूमि का जमाबंदी रैयत मनु उराँव पिता बंधु उराँव के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुशंसा किया गया है।</p> <p>अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा जीपुटोली, खाता सं० 55 मधे रकबा 1.40 एकड़ भूमि की जमाबंदी को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत नियमानुसार रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p>अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता खूंटी को भेजे। लेखापिता संशोधित।</p> <p>अंचल अधिकारी कर्रा।</p> <p>अंचल अधिकारी कर्रा।</p>	